

कोर्स रिपोर्ट

इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 19.06.2017 से 23.06.2017 तक 'इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स' विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 10 निरीक्षक पुलिस एवं 23 उप निरीक्षक पुलिस स्तर के कुल 33 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के प्रारम्भिक सत्र में श्री अशोक गुप्ता, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जयपुर ने संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए इसके वर्तमान स्वरूप पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। श्री एम.एम. अत्रे ने धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार के संगठित अपराधों की विस्तृत व्याख्या करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बातों के बारे में बताते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं नवीनतम संशोधनों के बारे में बताया। श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक(सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने विभिन्न प्रकार के संगठित अपराधों में डिजिटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री मिलिन्द अग्रवाल, साइबर विशेषज्ञ द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले संगठित अपराधों में एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी एवं इस प्रकार के अपराधों में साक्ष्य संकलन की विधि के बारे में बताया। श्री आर.सी. शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने संगठित अपराधों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों के नियन्त्रण के बारे में बताया। श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, ए.सी.बी., जयपुर ने मोबाइल फोन व इन्टरनेट के उपयोग से संगठित अपराधों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्रित करने एवं इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान के दौरान ध्यान देने योग्य बातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने संगठित अपराधों की रोकथाम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राज पासा अधिनियम एवं अभ्यस्त अपराधी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। श्री ओम प्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज ने संगठित अपराधों में बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी एवं महिलाओं एवं लड़कियों के देहिक व्यापार के संबंध में विस्तृत कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराते हुए इनकी रोकथाम के संबंध में जानकारी दी। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं नारको ट्रेरिज्म के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान पर व्याख्यान दिया।

श्री विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर ने मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित करते हुए इसके खतरों एवं इस प्रकार के अपराधों के अनुसंधान के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बातों के बारे में बताया। श्री शान्तनु कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एटीएस, जयपुर ने संगठित अपराधों, माफिया गैंग, हवाला कारोबार आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए अनुसंधान की प्रक्रिया बतायी। श्री दिलीप कुमार सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने फिरोती के लिए किये जाने वाले अपहरण एवं राजमार्ग डकैती की घटनाओं के बारे में केस स्टडी प्रस्तुत की।

कोर्स के समापन सत्र में डॉ० विकास पाठक, पुलिस उपायुक्त (अपराध), आयुक्तालय जयपुर ने शिरकत की तथा संगठित अपराधों की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए अनुसंधान अधिकारियों को ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये।